

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,

“निर्माण भवन,” प्रथम तल, प्लॉट नं.27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)

web site: www.mppwd.gov.in

email:-sepwdadminenc@mp.nic.in

Phone- 0755-2551316, Fax- 2556527

क्रमांक-301/037/2010/पी.सी.-1/1628

भोपाल,दिनांक 23/9/2017

//आदेश//


लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत श्रीमती सुषमा बगैरवाल,उपयंत्रि(सिविल) कार्यालयीन आदेश क्रमांक-302/049/007/2002,दिनांक 25/9/2002 द्वारा दिनांक 30/9/2002 से 3 वर्ष तक के लिए एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक-302/049/98 /2002/10,दिनांक 14/2/2006 द्वारा दिनांक 29/9/2005 से दिनांक 28/9/2007 तक फरलो अवकाश पर होने के कारण, मध्य प्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-सी-3-11/2002/1/3, दिनांक 2/5/अगस्त/2002 की कंडिका-2.13 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 6/3/2010 में प्रावधान अनुसार श्रीमती सुषमा बगैरवाल,उपयंत्रि की दिनांक 30/9/2002 से दिनांक 29/5/2005 तक पांच वर्ष की फरलो अवधि को अर्हकारी सेवा की गणना में नहीं लिया गया है, फलस्वरूप मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-11-1/2008/नियम/चार,दिनांक 24/1/2008 एवं क्रमांक-एफ-1/2 /2008/नियम/चार,दिनांक 18/7/2008 द्वारा निर्माण विभागों में कार्यरत उपयंत्रियों को वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 24/1/2008 में निहित प्रावधानों के तहत उपयंत्रि(सिविल) की दिनांक 1/4/2008 की स्थिति में प्रकाशित पदकम सूची के आधार श्रीमती सुषमा बगैरवाल,उपयंत्रि को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान का लाभ दिनांक 26/9/2008 के स्थान पर दिनांक 26/9/2013 से निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

1. उपयंत्रि(सिविल)डिप्लोमाधारी समूह-ब

(वेतनमान रूपये 6500-200-10500/-) PB-2Rs.9300-34800+Rs.4200/-

सरल क्रमांक	वर्ष-2008 का वरिष्ठता स.क्रं.	उपयंत्रि का नाम/पिता का नाम	वर्तमान पदनाम	10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता का दिनांक
1	2	3	4	5
1	330	श्रीमती सुषमा बगैरवाल	उपयंत्रि	26.09.2013

उक्त उपयंत्रि के सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर ही उक्त लाभ देवें, यदि कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, तो तत्काल पूर्ण वस्तुस्थिति दर्शाते हुए अवगत करावें।


(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,

लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश
भोपाल,दूरभाष-0755-2551485

भोपाल,दिनांक 23/9/2017


पृष्ठांकन क्रमांक-301/037/2010/पी.सी.-1/1629
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्य परिक्षेत्र,जबलपुर
2. अधीक्षण यंत्रि,लोक निर्माण विभाग,जबलपुर मंडल,जबलपुर
3. वित्तीय सलाहकार,कार्यालय प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,भोपाल
4. कार्यपालन यंत्रि,लोक निर्माण विभाग,संभाग क्रमांक-1,जबलपुर/संभाग क्रमांक-2,जबलपुर
5. प्रभारी अधीक्षण यंत्रि(आई.टी.सैल),कार्यालय प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,भोपाल

6. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
7. श्रीमती सुषमा बगैरवाल, उपयंत्री (सिविल) द्वारा :- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/ उक्त आदेश में उल्लेखित जिन उपयंत्रियों के विरुद्ध कलेक्टर/कमिश्नर या अन्य कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच संस्थित की गई हो, उन्हें यह आदेश वितरित न करते हुए इस कार्यालय को वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वापस करने की कार्यवाही करें।


(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
भोपाल, दूरभाष-0755-2551485